

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

क्रमांक: स्था0/परीक्षा/2019/925

दिनांक 17/12/2019

प्रेषित:-

1. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर/कोटा ग्रामीण/ए.सी.बी., कोटा
2. अति० जिला कलक्टर प्रशासन/शहर,/सीलिंग कोटा
3. उपखण्ड अधिकारी कोटा/दीगोद/इटावा/रामगंजमंडी/सांगोद/कनवास
4. सचिव, नगर विकास न्यास/आयुक्त नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा
5. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग/मण्डल वन अधिकारी,/रजिस्ट्रार, तकनीकी महाविद्यालय,/कोटा विश्वविद्यालय/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय/जिला रसद अधिकारी/उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक,/राजस्व अपील अधिकारी, /कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी./होमगार्ड, कोटा/अधीक्षक, जेल, कोटा
6. कमाण्डर, एन.सी.सी./कमाण्डिंग ऑफिसर, स्काउट/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कोटा
7. परियोजना प्रबन्धक, अनु. जाति जनजाति वित्त विकास निगम, कलेक्ट्रेट, कोटा/भू-प्रबंधन अधि० कोटा
8. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग/संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कोटा
9. उप मुख्य निरीक्षक, फेक्ट्री एण्ड बॉयलर, कोटा/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा
10. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग/उपायुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा
11. संयुक्त निदेशक, पशुपालन/कुषि/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग/ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, कोटा/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., कोटा
12. कोषाधिकारी, कोटा/सहायक कोषाधिकारी (पेंशन), कोटा/प्रबन्धक संचालक, डेयरी, कोटा
13. तहसीलदार लाडपुरा/दीगोद/पीपल्दा/रामगंजमंडी/सांगोद/कनवास
14. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, कोटा/मुख्य आयोजना अधिकारी, कोटा/वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा
15. उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर विभाग/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कोटा
16. उप निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग/आर्थिक एवं सांख्यिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्थानीय निकाय विभाग/पर्यटन/उद्यानिकी/सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग/आयुर्वेद/कृषि, कोटा
17. संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा/प्रबन्धक, सर्किट हाउस, कोटा
18. अधीक्षण अभियन्ता, PWD/PHED/CAD/RSRDC/JVVNL/RUIDP /सिंचाई/जल संसाधन/खनिज/कृषि विपणन बोर्ड, कोटा
19. अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय/जे. के. लोन चिकित्सालय/राजकीय संग्रहालय, कोटा
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान रोडवेज/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको/सचिव, कृषि उपज मण्डी, समिति/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक, कोटा
21. विकास अधि०, पंचायत समिति, लाडपुरा/सुल्तानपुर/खैराबाद/इटावा
22. सहायक निदेशक, उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय/अभियोजन कार्यालय, कोटा/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा
23. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राजकीय वाणिज्य/राजकीय जे.डी.बी.कन्या/अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ चिकित्सा महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
24.

विषय:- मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग राज० जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर दिनांक 06.12.2019 की प्रति संलग्न कर लेख है कि मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त


ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयवाधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान किये गये हैं।

अतः आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत ऐसे मृत राज्य सरकारी कर्मचारियों के आश्रित लिपिक ग्रेड-द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) जो दिनांक 31.12.2016 से पूर्व में नियुक्त हैं एवं जिन्होंने निर्धारित अवधि में अब तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरवाकर दिनांक 15.02.2020 तक आवश्यक रूप से संबधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावे। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावे-

1. कार्मिक के नियुक्ति आदेश की सत्यापित प्रति।
2. कार्मिक के ज्वाइनिंग रिपोर्ट/सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।
3. जिला कलक्टर कोटा के नाम 500/- रुपये शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

कृपया यह सुनिश्चित कर लेवे की आपके अधीन एवं अधीनस्थ कार्यालयों में इस श्रेणी का कोई भी कनिष्ठ सहायक इस टंकण परीक्षा से वंचित नहीं रहे। अतः सभी संबधित को व्यक्तिगत रूप से सूचित कराने का भी श्रम करावे। विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


अति० जिला कलक्टर
एवं अध्यक्ष टंकण परीक्षा समिति,कोटा
दिनांक 17/12/2019

क्रमांक/परीक्षा/2019/925

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग राज० जयपुर
2. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, जिला मुख्यालय, कोटा
4. ए०सी०पी०, सूचना प्रौ० एवं संचार विभाग, कोटा को www.kota.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, कोटा
6. वरिष्ठ निजी सहायक, जिला कलक्टर कोटा
7. निजी सहायक, अति० जिला कलक्टर(प्रशासन), कोटा
8. रक्षित प्रति।


अति० जिला कलक्टर
एवं अध्यक्ष टंकण परीक्षा समिति,कोटा